**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.08.2026**

## थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.08.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नौशाद पुत्र वहीद द्वारा घर में आकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा-333/64(1)/62 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.08.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र वहीद निवासी साहेलनगर थाना जानी जनपद मेरठ को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादिया से मेरी पहले से जान पहचान थी तथा मेरी फोन पर बातचीत होती रहती थी। हमारा आपस में कुछ पैसों का लेनदेन था जिसके समझौते हेतु मैं वादिया के घर पर गया था जिसके बाद उक्त घटनाक्रम घटित हुआ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नौशाद पुत्र वहीद निवासी साहेलनगर थाना जानी जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा गोवध की घटना के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.08.2026 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि गुलफाम व उसकी मम्मी छोटी, सलमान पुत्र शौकीन, आयूब पुत्र जुम्मा, इमरान उर्फ तोतला व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवध किया गया है जिसमें

तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 04.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त अय्यूब पुत्र हाजी जुम्मा को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध 01 तंमचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद तथा अन्य 01 वांछित अभियुक्ता छोटी पत्नी वकील मलिक को गिरफ्तार किया गया जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 07.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमरान उर्फ तोतला पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी बेहटा हाजीपुर मौलाना आजाद कॉलोनी नियर बाई खड्डे वाली मस्जिद थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि वह भी उपरोक्त गोकशी की घटना में शामिल था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

इमरान उर्फ तोतला पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी बेहटा हाजीपुर मौलाना आजाद कॉलोनी नियर बाई खड्डे वाली मस्जिद थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।

**अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग–**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चोरी की कार (थार) नं0 DL 10 CZ 1922 बरामद

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक **06.08.2026** को वादी गौतम सोम पुत्र नवीन सोम नि0 जी 35 कृष्णा गार्डन थाना कविनगर गाजियाबाद ने थाना मधुबन बापूधाम आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक **05.08.2026** को अपनी कार(थार) नं0 **DL 10 CZ 1922** से थाने के सामने बने गोल चक्कर पर गाडी खडी कर थाने आया था जो मैने अपने परिचित को गिरवी रखी थी। थोडी देर बाद वापस आया तो देखा कि वहाँ गाडी नही थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हाजा पर मु0अ0सं0 **244/26** धारा **303(2) BNS** पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त/वाहन की तलाश करते हुए **24/7 स्टोर करन गेट** के पास खडी कार(थार) **DL 10 CZ 1922** को लावारिस हालत में खडा होने के कारण बरामद किया गया। उपरोक्त गाडी नं0 **DL 10 CZ 1922** को ई-चालान ऐप पर डालकर मिलान किया गया तो उपरोक्त कार(थार) थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0सं0 244/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित पायी गयी। वाहन को जरिये उचित माध्यम लाकर थाना पर दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**बरामदगी का विवरणः-**

1. एक अदद चोरीशुदा कार (थार) DL 10 CZ 1922

**बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।